

सी.जी.-एम.एच.-अ.-07092020-221588 CG-MH-E-07092020-221588

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 443] No. 443] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 7, 2020/भाद्र 16, 1942 NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 7, 2020/BHADRA 16, 1942

### वित्त मंत्रालय

# (वित्तीय सेवाएं विभाग)

# अधिसूचना

नई दिल्ली. 7 सितम्बर. 2020

सा.का.िन. 549(अ).—केन्द्रीय सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 70 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक के तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस), राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) और ई-कुबेर (कोर बैंकिंग समाधान) को भारतीय रिजर्व बैंक में स्थापित संबंधित अवसंरचना आश्रितता को उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु संरक्षित प्रणाली घोषित करती है।

- 2. पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 70 की उप-धारा (2) के अनुसार, निम्नलिखित कार्मिक संरक्षित प्रणाली तक पहुंच बनाने के लिए प्राधिकृत होंगे:-
  - (क) संरक्षित प्रणाली तक पहुंच बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख द्वारा प्राधिकृत अभिहित भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारी:
  - (ख) संविदा प्रबंधित सेवा प्रदाता या तृतीय पक्षकार वेंडर (वेंडरों), यदि कोई हो, के आरबीआई द्वारा प्राधिकृत टीम के सदस्य जिन्हें आवश्यकता पर आधारित पहुंच दी गई है; और
  - (ग) मामला-दर-मामला आधार पर आरबीआई द्वारा प्राधिकृत बाह्य परामर्शदाता, विनियामक, सरकारी अधिकारी, लेखापरीक्षक और स्टेकहोल्डर।
- 3. यह अधिसूचना राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. आईटी-01/31/2019]

सौरभ मिश्रा, संयुक्त सचिव

4135 GI/2020 (1)

#### MINISTRY OF FINANCE

# (Department of Financial Services)

# NOTIFICATION

New Delhi, the 7th September, 2020

- **G.S.R. 549(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 70 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), the Central Government hereby declares the Real Time Gross Settlement (RTGS), the National Electronic Funds Transfer (NEFT) and e-Kuber (Core Banking Solution) of the Reserve Bank of India with their associated Infrastructure dependencies installed at the Reserve Bank of India to be protected system for the purpose of the said Act.
- 2. The following personnel shall be authorised to access the protected system as per sub-section (2) of section 70 of the aforesaid Act:-
  - (a) Designated Reserve Bank of India employees authorised by Head of Reserve Bank of India to access the protected system;
  - (b) Reserve Bank of India authorised team members of contractual Managed Service Provider or third-party vendor(s), if any, who have been given need-based access; and
  - (c) External consultants, regulators, government officials, auditors and stakeholders authorised by Reserve Bank of India on a case to case basis.
- 3. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. IT-01/31/2019]

SAURABH MISHRA, Jt. Secy.